

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय:- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्राम बांगरदा के भू-अर्जन प्रकरण में जारी धारा-19 अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक।

— 0 —

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्र.कं. 5 /अ-82/2016-17, ग्राम बांगरदा में लोक निर्माण विभाग हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु निजी भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई थी।

अतः कृपया अधिसूचना का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- 02 प्रतियां



(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,

जिला खंडवा (म.प्र.)

खंडवा, दिनांक २५/०९/2017

पृष्ठांकन कमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./120/४४९
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न कर
- 2- इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों की दो प्रतियां अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा जिला खंडवा एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 4- नायब तहसीलदार, मूदी, की ओर 06 प्रतियां संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित।
- 5- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा की ओर सूचनार्थ।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / 120/2017/एलए/
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/16-17

नस्ती क्रमांक 120/2017 एलए
खण्डवा, दिनांक 28/09/2017

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:	खंडवा
(ख) तहसील	:	पुनासा
(ग) ग्राम	:	वांगरदा
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	1.805 हैक्टेयर

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेन्द्र पिता जगदीश	535/1	0.700	0.116	0.116	0.000	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से वांगरदा पहुच मार्ग काया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ वांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	अन्नपूर्णा बाई वि. लालसिंह	531	2.000	0.234	0.234	0.000	
3	सवईसिंह पिता दातारसिंह	529/1	0.330	0.043	0.000	0.043	
4	जगन्नाथ पिता घुडिया, गीताबाई पति जगन्नाथ	529/2	0.330	0.024	0.024	0.000	
5	रणवीरसिंह पिता नारायणसिंह	529/3	0.330	0.049	0.000	0.049	
6	अशोक पिता विजयसिंह	529/4	0.330	0.068	0.000	0.068	
7	कलीराग पिता कन्हैया	528/3	0.220	0.024	0.000	0.024	
8	बसंतीबाई वि. छगनलाल, रामदास, दुलीचंद पिता छगनलाल, कृष्णा, गोरा, प्रेम मुन्नी छगनलाल	511	0.150	0.017	0.000	0.017	
9	प्यारीबाई वि. दशरथ, दगडिया सरवण, बांगा पिता दशरथ अ.स. प्यारीबाई	512	0.020	0.004	0.000	0.004	
10	रूपत्या पिता छोटू	513	0.030	0.002	0.000	0.002	

11	सांग्या, भडक्या, बरजीर पिता कालू, सोनाबाइ वि. सिगदार, बुधडिया, नंदू मुरार, सुकराम पिता भिक्या, अनोखीबाइ पुत्री भिक्या छंदूबाइ वि. भिक्या	514	0.030	0.002	0.000	0.002
12	किरतसिंह पिता ध्यानसिंह	517	0.040	0.004	0.000	0.004
13	बाबूलाल, मुन्नालाल रामचरण राधाकृष्ण पिता मुकंदसा	518	0.150	0.024	0.024	0.000
14	बंशीलाल पिता बाबूलाल	519	0.080	0.016	0.000	0.016
15	देवेसिंग, गुलाबसिंह पिता छितु	520	0.020	0.002	0.000	0.002
16	उर्मिलाबाई वि० पूरणसिंह, जीवन, जयदीप पिता पूरणसिंह, गिरजा पुत्री पूरणसिंह	521/1	0.010	0.001	0.000	0.001
17	शिवनारायण पिता देवेसिंह	521/2	0.020	0.002	0.000	0.002
18	जयनारायण पिता देवेसिंह	521/3	0.020	0.002	0.000	0.002
19	देवेसिंह, गुलाबसिंह पिता छितु, कृष्णा, जसोदा पुत्री छितु	522	0.050	0.006	0.000	0.006
		601	0.140	0.017	0.017	0.000
		योग	0.190	0.023	0.017	0.006
20	राजूबाई वि. शंकरलाल, रमा, उमा, किरण, उर्मिला पुत्री शंकरलाल, सुरज रमेश पिता शंकरलाल	523	0.080	0.011	0.000	0.011
21	हरेसिंह पिता ठाकुरसिंह, शिवेसिंह पिता चंपालाल	524	0.630	0.036	0.036	0.000
22	अशोक कुमार, नितिन कुमार, शरद कुमार पिता रतिलाल रूपमतिबाई पिता रतिलाल	525	1.270	0.002	0.002	0.000
23	गोविंद पिता कोमलसिंह	448	0.470	0.004	0.004	0.000
24	अगूरीबाई वि. अनारसिंह, मुकेश, अखिलेश, पिता अनारसिंह, सीमाबाई शोभाबाई पुत्री अनारसिंह	444	0.070	0.002	0.000	0.002
		619	2.000	0.045	0.045	0.000
		620	2.82	0.084	0.084	0.000
		योग	4.89	0.131	0.129	0.002

25	कमलसिंहपिता उमरावसिंह, शैतानसिंह पिता कमलसिंह	445	0.040	0.022	0.000	0.022
26	गुलाबबाई वि. नवलसिंह रणजीतसिंह, रंगलाल, कमलसिंह पिता नवलसिंह,	594	0.070	0.002	0.000	0.002
27	रेशमबाई वि. दगडू, गिखर, सजन पिता मोजीलाल	595	0.020	0.007	0.000	0.007
28	श्याणीबाई वि. देवाजी, राधेश्याम पिता देवाजी, झमा, उमा, पुत्री देवाजी	596	0.010	0.007	0.000	0.007
29	देउबाई रामईबाई, श्यामईबाई पुत्री सरवण, हरेसिंह पिता सरवण	597	1.750	0.048	0.048	0.000
30	कमलसिंह पिता रामाजी	434/2	1.150	0.064	0.064	0.000
31	किशोरसिंह पिता रघुनाथसिंह	437/1	3.400	0.111	0.111	0.000
32	अशोक कुमार पिता रूपसिंग	437/2	2.560	0.061	0.061	0.000
33	गणपत पिता रघुनाथसिंह	437/3	1.790	0.035	0.035	0.000
34	सीताबाई पति लक्ष्मण	600	0.050	0.016	0.000	0.016
35	सुजानसिंह पिता मानसिंह	602	0.380	0.024	0.024	0.000
36	दिलीपसिंह पिता अभयसिंह	616/1	1.980	0.046	0.046	0.000
37	सुरेन्द्र पिता कोमलसिंह	616/2	0.800	0.022	0.022	0.000
38	शिवनारायण पिता जालमसिंह	617	1.900	0.031	0.031	0.000
39	जितेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह	618	1.720	0.039	0.039	0.000
40	मोतीराम पिता नारायण	621	2.870	0.069	0.069	0.000
41	मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	622	1.150	0.040	0.040	0.000
42	भारतसिंह पिता रामसिंह	623/2	1.600	0.060	0.060	0.000
43	अबरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	623/1	0.400	0.021	0.021	0.000
44	लोकेन्द्र पिता कमलसिंह	435/3	2.040	0.038	0.038	0.000
45	शैलेन्द्र पिता कमलसिंह	435/4	2.040	0.038	0.038	0.000
46	गुलाबसिंह पिता उमरावसिंह	436/1	0.580	0.061	0.061	0.000

47	मुकेश अकलेश पिता अनारसिंह	436/2	1.300	0.038	0.038	0.000
48	पवन पिता गणपत, ना.बा. व गणपत पिता रघुनाथ	436/4	0.800	0.026	0.026	0.000
49	मुकेश पिता अनारसिंह	436/5	1.200	0.038	0.038	0.000
कुल- कृषक-49		कुल रकबा - 1.805 है. सिंचित- 1.496 है. असिंचित- 0.309 है.				

- नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,

जिला खण्डवा (म0प्र0)